हुक्म की तामील में जारी हुए

25/9/21

...हाजिर।
श्रीमान पीठासीन अधिकारी/तहसीलदार/दीगर/...
...के समक्ष पत्रावली वास्ते ...
दिनांक 8/10/21 को पेश हो।

श्रीमान् पीठासीन अधिकारी पत्रावली को शासन गांवों के संग अभियान 2021 में सुनवाई हेतु ग्राम पंचायत मुख्यालय रोपी पर रखे जाने के निर्देश प्रदान किये गये। निर्देशों की पालना में पत्रावली के समस्त पक्षकारान को जरिये सूचना या सूचित किया जावें। पत्रावली वास्ते अग्रिम कार्यवाही ग्राम पंचायत रोपी में दिनांक 25/10/21 को पेश हों।

25/10/21 पत्रावली पुश्तैनी गांवों के लोक अभि० 2021 शिविर रोपी में पेश हुई। वादी हाजिर नहीं। वादी स्वयं / बावजूद सूचना हाजिर नहीं। तहसीलदार राशमी द्वारा बोरवाड़ा विषयक जरिये पत्रांक / शा०के०म०/21 /18/25/8/21 से अवगत करवाया गया कि वादी एक हिस्से अनुसार बोरवाड़ कायम से इन्कार किया है। जो रिकार्ड पर है। अतः प्राथमिक डिक्री की पालना के विभाजन प्रस्ताव तैयार नहीं किया जा सकता है। निस्तारित अग्रे प्र० किया जाता है। पत्रावली का अवलोकन किया / मनन किया। तहसीलदार राशमी द्वारा अवगत कराया की वादी एक हिस्से अनुसार प्राथमिक डिक्री के अनुसार बोरवाड़ा नहीं कायम चाहते किसी स्थिती में वादी का वाद अन्तर्गत धारा 53 RTA 1955 का 204 बीज निरस्त करता है। पत्रावली की गणना निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार भेजी जावे। निर्णय खुले इजलास आम प्र०गां० के लोक अभियान-2021 शिविर रोपी में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Neeta Vaseeta
Date: 2021.10.28 19:37:22 IST
Reason: SelfAttested